मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल–462016

☎ (0755) 2464428, 2466191, e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांक 115 /तक/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 19-1-2023

कार्यालय आदेश

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा–2), मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा ''डिग्रडेशन ऑफ क्षिप्रा रिवर'' विषय पर क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर, उज्जैन एवं देवास से संबंधित प्रस्तुत प्रारूप प्रतिवेदन में ली गई आपत्तियों को संज्ञान में लेते हुये सुधारात्मक दृष्टि से दिनांक 30/12/2022 को समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में लिये गये निर्णयानुसार समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

1. सम्मति/नवीनीकरण प्रकरणों का निपटारा बोर्ड द्वारा निर्धारित समय–सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से किया जावे।
2. क्षेत्र के सभी उद्योग बोर्ड से वैध सम्मति नवीनीकरण प्राप्त संचालित किये जावें।
3. क्षेत्र के ऐसे उद्योग जिन्होंने बोर्ड से स्थापना सम्मति प्राप्त की है परन्तु उत्पादन सम्मति प्राप्त नहीं की है, उनके विरूद्ध उत्पादन सम्मति हेतु प्रभावी कार्यवाही की जावे।
4. उद्योगों को जारी किये जाने वाले निरस्तीकरण पत्रों में अनिवार्य रूप से विस्तार से आवेदन पत्रों के निरस्तीकरण के कारणों का उल्लेख किया जावे।
5. क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा उनके स्तर पर उद्योगों का वर्चुअल रूप से निरीक्षण उद्योगों में स्थापित ऑनलाईन मॉनिटरिंग सिस्टम/कैमरा के आधार पर सुनिश्चित किया जावे तथा आवश्यकतानुसार कैमरों की स्थापना सुनिश्चित कराई जावे।
6. वृहद श्रेणी के जल प्रदूषणकारी (लाल) उद्योगों के ई.टी.पी. हेतु स्टेण्ड बाई पॉवर बैकअप हेतु डी. जी. सेट की व्यवस्था आवश्यकतानुसार सुनिश्चित कराई जावे।
7. जल प्रदूषणकारी उद्योगों में वाटर मीटर/फ्लोमीटर की स्थापना कराई जावे व इसका उल्लेख अनिवार्य रूप से निरीक्षण प्रतिवेदन में किया जावे।
8. जल प्रदूषणकारी उद्योगों में शून्य निस्त्राव (जेड.एल.डी.) के सुनिश्चयन हेतु दूषित जल की मात्रा, ई.टी.पी. की क्षमता एवं उपचारित दूषित जल का विभिन्न कार्यो जैसे उत्पादन में, बॉयलर/कूलिंग हेतु, वृक्षारोपण व अन्य कार्यों में उपयोग की मात्रा के आधार पर, गणना वर्ष में एक बार अनिवार्य रूप से की जावे तथा इससे संबंधित जानकारी बोर्ड मुख्यालय को भी प्रस्तुत की जावे।
9. सभी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में भूजल एवं सतही जल के मॉनिटरिंग हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका वर्ष 2017 का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(चन्द्रमोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल–462016

(0755) 2464428, 2466191 , e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

आज़ादी का अमृत महोत्सव

पृ.क्र. 116 /तक/प्रनिबो/2023 भोपाल, दिनांक 19-1-2023

प्रतिलिपि :-

1. स्टाफ ऑफीसर, प्रमुख सचिव एवं अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. डायरेक्टर पर्यावरण, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त यूनिट हेड, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. आँचलिक अधिकारी, आँचलिक कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर/मण्डीदीप की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/मण्डीदीप/धार/इन्दौर/उज्जैन/ग्वालियर/सागर/सतना/रीवा/सिंगरौली/शहडोल/जबलपुर/छिन्दवाड़ा म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. आई.टी. शाखा, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं लेख है कि उपरोक्तानुसार एक्सजीएन सॉफ्टवेयर में सुधार किया जावे ।

(चन्द्रमोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

rkg hindiletter 6